

## दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामला

### प्रलिस के लयः

दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22, [प्रवर्तन नदशलालय \(ED\)](#), [कोवडि-19 महामारी](#), संवधान का अनुच्छेद 361, लोक प्रतनधित्व अधनियम, 1951 ।

### मेन्स के लयः

दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22, प्रवर्तन नदशलक, इसके कार्य और संबंधित मुद्दे ।

[सरोतः इंडयिन एक्सप्रेस](#)

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में दिल्ली की एक मजसिद्रेट न्यायालय ने उत्पाद शुल्क नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री को [प्रवर्तन नदशलालय \(ED\)](#) की हरिसत में भेज दया है ।

- ED ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर दिल्ली उत्पाद शुल्क घोटाले का "मुख्य साजशिकरत्ता" होने का आरोप लगाया है ।

### क्या है दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामला?

#### परचयः

- दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामला दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 के नरिमाण और कार्यानवयन से जुड़े मामले को संदर्भित करता है ।

- यह नीति, जो नवंबर 2021 में लागू हुई, बाद में प्रक्रयात्मक खामयों, भ्रष्टाचार और सरकारी कोष को वत्तीय नुकसान के आरोपों के कारण **जुलाई 2022 में रद्द कर दी गई** ।

#### प्रमुख आरोपः

- मनमाने नरिणयः** दिल्ली के मुख्य सचवि की रपिरट में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और उत्पाद शुल्क मंत्री द्वारा कयि गए मनमाने एवं एकतरफा नरिणयों को उजागर कया गया, जसिके कारण कथित तौर पर **580 करोड रुपए से अधिक का वत्तीय नुकसान** हुआ ।
- साजशि और रशिवतः** प्रवर्तन नदशलालय (ED) ने आरोप लगाया है कशराब कारोबार में **कुछ नजी कंनयों को 12% लाभ मारजनि प्रदान करने की साजशि** के तहत नई उत्पाद शुल्क नीति लागू की गई थी ।
  - यह आरोप लगाया गया है कइस व्यवस्था में **6% की रशिवत शामिल** थी ।
  - ककिकैक (Kickback) एक प्रकार की रशिवतखोरी या भ्रष्ट भुगतान** को संदर्भित करता है, जो ककिकैक प्रदान करने वाले व्यक्ता के पक्ष में लेनदेन या नरिणय को सुवधाजनक बनाने या प्रभावित करने के बदले में कसी को, आमतौर पर एक सार्वजनिक अधिकारी या व्यवसायी को दया जाता है ।
- कार्टेल गठन और पक्षपातपूर्ण/अधमिनय व्यवहारः** ED का आरोप है कनीति को कार्टेल गठन को बढ़ावा देने और **आम आदमी पार्टी (AAP) के नेताओं** को लाभ पहुँचाने के लयि जानबूझकर कमयों के साथ तैयार कया गया था ।
  - शराब व्यवसाय मालकों और ऑपरेटरों को रशिवत के बदले में छूट, लाइसेंस शुल्क में वसितार, जुरमाने में छूट और [कोवडि-19 महामारी](#) के कारण हुए व्यवधानों के कारण राहत जैसे अधमिनय उपचार प्रदान कयि गए ।
- चुनावों पर प्रभावः** आरोप है कइस योजना के माध्यम से प्राप्त रशिवत का इस्तेमाल वर्ष 2022 की शुरुआत में **जाब और गोवा में वधानसभा चुनावों** को प्रभावित करने के लयि कया गया था ।

- नई दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22, जसिमें राज्य सरकार के लयि अधिकतम राजस्व सुनशिकति करने और नकली या अवैध शराब की बकिरी का वरिोध करने की मांग की गई थी, पर "प्रक्रयात्मक कमयों" के व्यापक आरोप लगे । इसने सरकार को 1 अगस्त, 2022 से इसे समाप्त करने के लयि मजबूर कर दया है ।
- नई नीति के तहत, दिल्ली में शराब की सभी नजी स्वामित्व वाली और संचालित दुकानों की संख्या लगभग 630 से बढ़कर 850 हो जानी थी । कोई

- व्यक्तिकाधिक शराब खुदरा लाइसेंस रख सकता था और व्यापार के लिये "भारी वनियमिति" उत्पाद शुल्क व्यवस्था को आसान बनाया जाना था।
- संशोधित उत्पाद शुल्क नीति विवादों में आ गई क्योंकि राजधानी में नज्दी शराब की दुकानें खुल रही थीं। इनमें से कई दुकानों को गैर-अनुपक्षित क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न उल्लंघनों के लिये MCD द्वारा सील कर दिया गया था, जहाँ शराब खुदरा जैसे कुछ व्यवसायों की अनुमति नहीं है।

## क्या कोई नविरतमान मुख्यमंत्री जेल से राज्य/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन चला सकता है?

- संवैधानिक नैतिकता और सुशासन:**
  - भारतीय संविधान इस मुद्दे का स्पष्ट रूप से नरिाकरण नहीं करता है कि क्या कोई मुख्यमंत्री (CM) जेल में रहकर सरकार चला सकता है।
  - हालाँकि, विभिन्न न्यायालयों के नरिणयों ने सार्वजनिक पद धारण करने में संवैधानिक नैतिकता, सुशासन एवं सार्वजनिक विश्वास के महत्त्व पर ज़ोर दिया है।
- राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के रूप में मुख्यमंत्री परतरिकषति नहीं:**
  - भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल ही एकमात्र ऐसे संवैधानिक पदधारक हैं, जिन्हें कानून के अनुसार अपना कार्यकाल समाप्त होने तक नागरिक तथा आपराधिक कार्यवाही से छूट प्राप्त है।
  - संविधान के अनुच्छेद 361 में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति तथा राज्यों के राज्यपाल "अपने आधिकारिक कर्तव्यों के नरिवहन में किये गए किसी भी कार्य" के लिये किसी भी न्यायालय के परतजिवाबदेह नहीं हैं।
  - अनुच्छेद 361, राज्यपाल तथा राष्ट्रपति के वरिपरीत, किसी केंद्रशासित प्रदेश के प्रशासक या उपराज्यपाल (LG) को छूट नहीं देता है।
  - लेकिन यह छूट उन प्रधानमंत्री अथवा मुख्यमंत्रियों को नहीं प्राप्त है जिन्हें संविधान के अंतगत समान माना जाता है जो कानून के समक्ष समानता के अधिकार की वकालत करता है।
  - फरि भी, केवल गरिफ्तारी के लिये वे अयोग्य नहीं हो जाते।
- कानूनी ढाँचा:**
  - कानून के अनुसार, किसी मुख्यमंत्री को केवल तभी अयोग्य ठहराया जा सकता है अथवा पद से हटाया जा सकता है, जब वह किसी मामले में दोषी ठहराया जाता है।
    - अरवदि केजरीवाल के मामले में उन्हें अभी तक दोषी नहीं ठहराया गया है।
    - जन परतनिधित्व अधनियम, 1951 में कुछ अपराधों के लिये अयोग्यता के प्रावधान हैं, लेकिन पद संभालने वाले किसी भी व्यक्त को दोषी पाया जाना अनवरिा है।
    - मुख्यमंत्री केवल दो स्थतियों में शीरष पद से हटाया जा सकता है- वधिानसभा में बहुमत का समर्थन खो देने पर अथवा सरकार के वरिद्ध एक सफल अवशिास परसत्ताव के माध्यम से जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री करते हैं।
- सार्वजनिक पद धारण करने हेतु बुनयिादी मानदंड:**
  - जैसा कि सरवोच्च न्यायालय ने [2014] 10 SCC 103 मामला, वर्ष 2014 में उल्लेख किया है, सार्वजनिक पद संभालने के बुनयिादी मानदंडों में संवैधानिक नैतिकता, सुशासन तथा संवैधानिक विश्वास शामिल हैं।
  - सार्वजनिक अधिकारियों से इन सदिधांतों के अनुरूप कार्य करने की अपेक्षा की जाती है।
    - न्यायालय ने माना है कि नागरिक सत्ता में बैठे व्यक्तियों से नैतिक आचरण के उच्च मानकों को बनाए रखने की अपेक्षा करते हैं।
    - यह अपेक्षा वशिषकर मुख्यमंत्री जैसे पदों के लिये बहुत अधिक है, जिन्हें जनता के विश्वास्त के रूप में देखा जाता है।
- जेल से कार्य करने की व्यावहारिक कठनाइयाँ:**
  - जेल से सरकार चलाने वाले एक मुख्यमंत्री की व्यावहारिक चुनौतियाँ महत्त्वपूर्ण हैं।
    - उदाहरण के लिये, उन्हें आधिकारिक दस्तावेजों तक पहुँचने अथवा सरकारी अधिकारियों के साथ संचार करने पर परतबिंध का सामना करना पड़ सकता है।
    - इस बारे में भी प्रश्न उठ सकता है कि क्या हरिसत में रहते हुए वे प्रभावी ढंग से अपने कर्तव्यों को पूरण कर सकते हैं।
- उदाहरण तथा कानूनी मामले:**
  - एस.रामचंद्रन बनाम वी. सेंथलि बालाजी केस, 2023 में मद्रास उच्च न्यायालय ने वत्तीय घोटाले के आरोपी मंत्री द्वारा पद धारण करने के अपने अधिकार की समाप्ति के संबंध में वचिार किया।
  - मद्रास HC के नरिणय ने हरिसत में रहते हुए मंत्री का पद धारण करने की व्यावहारिक कठनाइयों पर प्रकाश डाला।
    - न्यायालय के नरिणय के अनुसार किसी मुख्यमंत्री के लिये कारावास से सरकार का संचालन करना तकनीकी रूप से संभव हो सकता है, कत्ति ऐसी परस्थितियों में उसके नेतृत्व की वैधता और प्रभावशीलता एक चत्ता का वषिय है।
  - उच्च न्यायालय ने किसी व्यक्त द्वारा अपने संबंधित कर्तव्यों का अनुपालन कयि बना सार्वजनिक पद पर रहते हुए सरकारी खज़ाने से वेतन प्राप्त करने के संबंध में प्रश्न किया।
- राष्ट्रपति शासन:**
  - चूँकि किसी भी मुख्यमंत्री के लिये कारावास से सरकार का संचालन करना अव्यावहारिक है इसलिये उपराज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 239AB के तहत दलिली में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिये 'राज्य में संवैधानिक तंत्र की वफिलता' का हवाला दे सकते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री के इस्तीफे की प्रक्रया शामिल होती है।
    - राष्ट्रपति शासन के तहत संबद्ध राष्ट्रीय राजधानी पर केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष नरिंत्रण हो जाएगा।

## ED क्या है?

#### ■ परचय:

- प्रवर्तन नदिशालय (ED) एक बहुअनुशासनिक संगठन है जो **धन शोधन के अपराध** और वदिशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जाँच के लिये अधदिशति है।
- यह **वत्ति मंत्रालय के राजस्व वभिग** के अंतर्गत कार्य करता है।
- भारत सरकार की एक प्रमुख वत्तीय जाँच एजेंसी के रूप में ED भारत के संवधिान और कानूनों के सख्ती से अनुपालन हेतु कार्य करती है।

#### ■ संरचना:

- **मुख्यालय:** ED का मुख्यालय नई दलिली में सथति है जसिकी अध्यक्षता प्रवर्तन नदिशक द्वारा की जाती है।
  - मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दलिली में ED के पाँच कषेत्रीय कार्यालय सथति हैं जनिकी अध्यक्षता वशिष प्रवर्तन नदिशक द्वारा की जाती है।
- **भरती:** इसमें अधिकारियों की भरती प्रत्यक्ष रूप से और अन्य अन्वेषण एजेंसियों में कार्यरत अधिकारियों में से की जाती है।
  - इसमें IRS (भारतीय राजस्व सेवा), IPS (भारतीय पुलसि सेवा) और IAS (भारतीय प्रशासनिक सेवा) जैसे आयकर अधिकारी, उत्पाद शुल्क अधिकारी, सीमा शुल्क अधिकारी तथा पुलसि के अधिकारी शामिल हैं।
- **कार्यकाल:** इसका कार्यकाल दो वर्ष का होता है, कति नदिशकों का कार्यकालतीन वार्षिक वसितार के साथ दो से पाँच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
  - **दलिली वशिष पुलसि स्थापना (DSPE) अधनियम, 1946 (ED के लिये)** और **केंद्रीय सतरकता आयोग (CVC) अधनियम, 2003 (CV आयुक्तों के लिये)** में संशोधन कया गया, जसिका उद्देश्य सरकार द्वारा दोनों प्रमुखों के दो वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्हें उनके पद पर एक वर्ष के लिये बनाए रखने की शक्ति प्रदान करना था।

#### ■ कार्य:

- **COFEPOSA: वदिशी मुद्रा संरक्षण और तसकरी नविरण अधनियम (Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act- COFEPOSA), 1974** के तहत, नदिशालय को FEMA के उल्लंघन के संबंध में **नविरक नरिष** के मामलों को प्रायोजित करने का अधिकार है।
- **वदिशी मुद्रा प्रबंधन अधनियम, 1999 (फेमा):** यह बाहरी व्यापार और भुगतान को सुवधिाजनक बनाने तथा भारत में वदिशी मुद्रा बाज़ार के व्यवस्थति विकास एवं रखरखाव को बढ़ावा देने से संबंधति कानूनों को समेकति व संशोधति करने हेतु अधनियमति एक नागरिक कानून है।
  - ED को वदिशी मुद्रा कानूनों और वनियमों के सदिगिध उल्लंघनों की जाँच करने, कानून का उल्लंघन करने वालों पर नरिणय लेने तथा जुरमाना लगाने की ज़मिमेदारी दी गई है।
- **धन शोधन नविरण अधनियम, 2002 (PMLA): वत्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF)** की सफिरशियों के बाद भारत ने PMLA लागू कया।
  - ED को अपराध की आय से प्राप्त संपत्ति का पता लगाने, संपत्तिको अस्थायी रूप से संलग्न करने तथा वशिष न्यायालय द्वारा अपराधियों के खलिाफ मुकदमा चलाने और **संपत्तिकी ज़बती सुनशिचति करने के लिये जाँच करके PMLA के प्रावधानों** को करयानवति करने की ज़मिमेदारी सौपी गई है।
- **भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधनियम, 2018 (FEOA):** वदिशों में शरण लेने वाले आर्थिक अपराधियों से संबंधति मामलों की संख्या में वृद्धि के साथ, भारत सरकार ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधनियम, 2018 (FEOA) पेश कया और ED को इसके प्रवर्तन की ज़मिमेदारी सौपी गई।
  - यह कानून आर्थिक अपराधियों को भारतीय न्यायालयों के अधिकार कषेत्र से बाहर रहकर भारतीय कानून की प्रकरयिा से बचने से रोकने के लिये बनाया गया था।
  - इस कानून के तहत, **ED को उन भगोड़े आर्थिक अपराधियों की संपत्तियों को कुरक करने और केंद्र सरकार को उनकी संपत्तियों को ज़बत करने का प्रावधान** करने का आदेश दया गया है, जो गरिफ्तारी के डर से भारत से भाग गए हैं।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

**??????????:**

प्रश्न. भारत की वदिशी मुद्रा आरकषति नधि में नमिनलखिति में से कौन-सा एक मद समूह सम्मलिति है? (2013)

- (a) वदिशी मुद्रा संपत्ति, वशिष आहरण अधिकार और वदिशों से ऋण
- (b) वदिशी मुद्रा संपत्ति, भारतीय रज़िर्व बैंक द्वारा धारति स्वर्ण और वशिष आहरण अधिकार
- (c) वदिशी मुद्रा संपत्ति, वशिर्व बैंक से ऋण और वशिष आहरण अधिकार
- (d) वदिशी मुद्रा संपत्ति, भारतीय रज़िर्व बैंक द्वारा धारति स्वर्ण और वशिर्व बैंक से ऋण

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- वदिशी मुद्रा भंडार का आशय केंद्रीय बैंक द्वारा वदिशी मुद्रा में आरकषति संपत्ति से होता है।
- RBI के अनुसार, भारत में वदिशी मुद्रा भंडार में शामिल हैं:
  - वदिशी मुद्रा परसंपत्तियाँ
  - स्वर्ण भंडार

